

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 944 / 2014

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 944 / 2014

संस्थापित दिनांक 29 / 10 / 2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
मालनपुर, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र सुखदेव उम्र 55 साल
  2. जितेन्द्र सिंह पुत्र शिवनारायण उम्र 19 साल
  3. परमाल सिंह पुत्र शिवनारायण सिंह उम्र 21 साल
- निवासीगण जिमलेदार का पुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—294, 325 एवं 506 भाग—2 भा0द0सं0)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य।)  
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री प्रवीण गुप्ता।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 19/01/2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 06/10/14 को शाम 06:00 बजे फरियादी माखनसिंह के मकान के बगल में ग्राम जिमलेदार का पुरा में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी माखनसिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी माखनसिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी माखनसिंह की लाठी सरिए से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 325 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.10.14 को शाम के 06:00 बजे फरियादी माखनसिंह अपने मकान के बगल में खड़ा था उसी समय शिवनारायण, परमाल, जितेन्द्र, मुन्नीदेवी आए थे सभी उसे मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे थे उसने आरोपीगण को गालियां देने से मना किया था तो इसी बात पर जितेन्द्र ने उसके लाठी मारी थी जो उसके सि के पीछे की तरफ लगी थी परमाल ने उसके लाठी मारी थी जो उसके बांय बखा में लगी थी उसे मूदी चोट आई थी

शिवनारायण ने उसके पीठ में दोहिनी तरफ लाठी मारी थी मन्नी देवी ने उसके दाहिने पैर की एडी में सरिया मारा था जितेन्द्र ने उसके दूसरी लाठी मारी थी जो उसके दाहिने हाथ के पंजे पर लगी थी। वह गिर गया था सभी आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी मौके पर उसका भाई इंदल एवं लडका आकाश आ गए थे तथा गांव के अन्य लोग आ गए थे जिन्होंने बीच बचाव किया था व घटना देखी थी जाते समय आरोपीगण ने उसे जान से खतम करने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालनपुर में अप0क0 203/14 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपिया मुन्नीदेवी की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 06.10.14 को शाम 6:00 बजे फरियादी माखनसिंह के मकान के बगल में ग्राम जमलेदार का पुरा में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी माखनसिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी माखनसिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

3. क्या घटना दिनांक को फरियादी माखनसिंह के शरीर पर उपहतियां थी? यदि हां तो उनकी प्रकृति।

4. क्या उक्त उपहतियां फरियादिया माखनसिंह को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही स्वेच्छया कारित की गई?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी माखनसिंह आ0सा01, साक्षी इंदल आ0सा02, डा आलोक शर्मा आ0सा03, आकाश आ0सा04 एवं ए एस आई श्रीनिवास आ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी केशवसिंह वा0सा01 को परीक्षित कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

##### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी माखनसिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 06.10.14 के शाम छः बजे की है वह अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था तभी चारों आरोपीगण आए थे और उसे मां बहन की गालियां देने लगे थे जो उसे सुनने में

बुरी लगी थीं। साक्षी ऐंदल अ0सा02 ने आरोपी जितेन्द्र द्वारा गाली देना बताया है। साक्षी आकाश अ0सा04 ने सभी आरोपीगण द्वारा उसके पिता को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देना बताया है।

8. इस प्रकार फरियादिया माखनसिंह अ0सा01 एवं आकाश अ0सा04 ने अपने कथन में सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया जाना बताया है जबकि साक्षी ऐंदल अ0सा02 का कहना है कि आरोपी जितेन्द्र ने आकर गाली दी थी इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादिया माखनसिंह अ0सा01 एवं आकाश अ0सा04 के कथन ऐंदल अ0सा02 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं। इसके अतिरिक्त फरियादिया माखनसिंह अ0सा01 एवं आकाश अ0सा04 ने अपने कथन में सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया जाना बताया है परंतु उक्त साक्षी गण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे जिन्हें सुनकर उन्हें क्षोभ कारित हुआ था। जहां कई आरोपीगण पर गालियां दिए जाने का आरोप हो वहां फरियादी एवं साक्षीगण का मात्र यह कह देना पर्याप्त न होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियां दी थी साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकारयोग्य नहीं होगी।

9. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया माखनसिंह अ0सा01 एवं आकाश अ0सा04 ने सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था ऐसी स्थिति में भादसं की धारा 294 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भादसं की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी माखनसिंह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ऐंदल अ0सा02 ने भी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है।

11. इस प्रकार फरियादी माखनसिंह अ0सा01 एवं ऐंदल अ0सा02 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उन्हें भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा0द0सं0 की धारा 506 भाग-2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो एवं उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमकियों से भा0द0सं0 की धारा 506 भाग -2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी माखनसिंह अ0सा01 एवं ऐंदल अ0सा02 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा0द0सं0 की धारा 506 भाग-2 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0द0सं0 की धारा 506

भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०३ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 06.10.14 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना मालनपुर के आरक्षक राकेश द्वारा लाए जाने पर आहत माखनसिंह का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने माखनसिंह के शरीर पर सात चोटें पाई थी जिनमें से चोट क्र० 1 सिर में पीछे की तरफ फटा हुआ घाव चोट क्र०२ दाहिनी हथेली में पीछे की तरफ नीलगू निशान चोट क्र०३ बांय कंधे पर नीलगू निशान चोट क्र०४ बांय बखा के नीचे नीलगू निशान चोट क्र०५ दाहिने बखा पर लालिमा लिए हुए नीलगू निशान चोट क्र०६ दाहिने घुटने पर फटा हुआ घाव एवं चोट क्र०७ दाहिनी अग्र भुजा पर नीलगू निशान स्थित था। उसके मतानुसार उक्त चोटें कड़े एवं मोथरे वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 6 घण्टे के अंदर की थी चोट क्र० 2,3,5,7 की प्रकृति जानने के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी शेष सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०३ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 07.10.14 को आहत का एक्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने आहत के दाहिने हाथ की चौथी मेटाकार्बल अस्थि में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी०४ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण क पद क्र० 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें गिरने से आना संभव है।

13. फरियादी माखनसिंह अ०सा०१ ने भी अपने कथन में झगड़े के दौरान उसके सिर पीठ बांय बखा दाहिने पैर एवं दाहिने हाथ के पंजे में चोट आना बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि उसके पंजे की उंगलियां टूट गई थी। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्वाप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन घटना दिनांक को उसके शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है। साक्षी ऐंदल अ०सा०२ ने भी फरियादिया माखनसिंह के सिर, दाहिने बखा, पीठ, पैर एवं दाहिने हाथ के पंजे में चोट आना बताया है साक्षी आकाश अ०सा०४ ने भी उसके पिता के सिर हाथ पीठ पैर की एडी एवं दाहिने हाथ के पंजे में चोट आना बताया है उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्वाप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन घटना दिनांक को फरियादिया माखनसिंह के शरीर पर उपहति होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है। प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादिया माखनसिंह अ०सा०१ के शरीर पर चोटें होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादिया माखनसिंह अ०सा०१ का कथन प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। उक्त बिंदु पर फरियादिया माखनसिंह के कथन की पुष्टि ऐंदल अ०सा०२ डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०३ एवं आकाश अ०सा०४ द्वारा भी की गई है। उक्त सभी साक्षीगण का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादिया माखनसिंह के शरीर पर उपहति होने के बिंदु पर अखंडनीय रहे हैं। डॉ० आलोक शर्मा चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं उनकी फरियादीगण से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादिया माखनसिंह के शरीर पर उपहति होने के बिंदु पर अखंडनीय भी रहा है एवं अखंडनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखंडनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।



14. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को फरियादिया माखनसिंह के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति गंभीर थी।

विचारणीय प्रश्न क्र० 4

15. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या फरियादी माखनसिंह को उक्त उपहतियां आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही स्वेच्छया कारित की गई थी? उक्त संबंध में फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 06.10.14 की शाम छ' बजे की है वह अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था तभी आरोपी शिवनारायण, जितेन्द्र, परमाल और मुन्नीदेवी आए थे। आरोपीगण ने उससे गालियां दी थी एवं उससे कहा था कि "तुम्हें अभी देखते हैं तुम हमारी जगह में दीवाल क्यों खड़ी कर रहे हो।" फिर जितेन्द्र ने उसके लाठी मारी थी जो उसके सिर में लगी थी शिवनारायण ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी परमाल ने उसके बांय बखा में लाठी मारी थी मुन्नीदेवी ने उसके दांय पैर की ऐड़ी के पास लाठी मारी थी जितेन्द्र ने उसके दाहिने हाथ के पंजे में लाठी मारी थी जिससे उसके पंजे की उंगलियों में फँक्कर हो गया था मौके पर उसके बेटे आकाश एवं ऐंदल ने उसे बचाया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में की थी जो प्र०पी०1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र०पी०2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16. प्रतिपरीक्षण के पद क्र०2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि आकाश उसका लडका ऐंदल सिंह उसका चचेरा भाई तथा इन्द्रवीर और सोनू उसके रिश्तेदार हैं। पद क्र०5 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 06.10.14 के शाम 5-6 बजे की है वह अपने पुराने वाले दरवाजे के चबूतरे पर बैठा था इसी पुराने वाले दरवाजे के चबूतरे पर घटना हुई थी। उसके साथ गौण में कोई घटना नहीं हुई थी। खरंजा वाली रोड के उपर जो चबूतरा है उसी पर घटना हुई थी। पद क्र०6 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे घटना में सात चोटें आई थी उसने सातों चोटें पुलिस को बताई थी उसने मुख्यपरीक्षण में पांच चोटें गलत लिखाई हैं सात चोटें सही हैं। घटना शुरू होने के समय आकाश एवं ऐंदल सिंह मौके पर मौजूद थे। पद क्र०7 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह शाम 6 बजे थाना मालनपुर पहुंच गया था। 6 बजे ही उसने रिपोर्ट लिखाई थी रात्रि लगभग साढ़े नौ बजे वह गोहद अस्पताल पहुंचा था डॉक्टर ने उसे रात को ही अस्पताल में भर्ती कर लिया था दूसरे दिन अस्पताल में उसका एक्सरा व अन्य इलाज हुआ था। वह 8 तारीख को अपने घर 12-1 बजे आ गया था। पद क्र०8 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र०पी०2 के नक्शेमौके में उसने घटनास्थल गोडा बताया था तथा आज उसने घटनास्थल पुरानावाला चबूतरा बताया है एवं स्पष्ट किया है कि गोडा एवं चबूतरा दोनों लगे-लगे हैं।

17. साक्षी ऐंदल सिंह अ०सा०2 एवं आकाश अ०सा०4 ने भी फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी माखनसिंह की लाठियों से मारपीट किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

18. साक्षी ए एस आई श्रीनिवास यादव अ०सा०5 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

19. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी एवं साक्षी एक ही परिवार के सदस्य हैं अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

20. आरोपीगण की ओर से उक्त संबंध में साक्षी केशवसिंह वा0सा01 को परीक्षित कराया गया है उक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 06.10.14 को शाम 6 बजे वह शिवनारायण के घर रुपये लेने गया था तो शिवनारायण की पत्नि मुन्नीबाई कंडे लेने के लिए गोडे में गई थी तो माखनसिंह मुन्नीबाई को गाली गलोच करने लगा था माखनसिंह चबूतरे से फिसल गया था और पत्थरों पर गिर गया था उसने माखनसिंह को उठाया था फिर माखनसिंह के घरवाले आ गए थे जो उसे मालनपुर ले गए थे। दूसरे दिन पुलिस शिवनारायण के घर आई थी तब जानकारी मिली थी कि माखनसिंह ने रिपोर्ट कर दी है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में फरियादी माखनसिंह एवं साक्षी ऐंदल तथा आकाश एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं हितबद्ध हैं अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में फरियादी माखन सिंह एवं साक्षी ऐंदल तथा आकाश एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है यदि फरियादी के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्त्विक विसंगतियों से परे रहे हों तो मात्र इस आधार पर फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। मात्र हितबद्ध होने से किसी व्यक्ति के कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है हितबद्ध साक्षियों के संबंध में विधि मात्र यह अपेक्षाकरती है कि हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य का मूल्यांकन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी एवं साक्षीगण के कथन इतने विश्वसनीय हैं जिसके आधार पर आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।

22. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी माखनसिंह अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह अपने दरवाजे पर बैठा था तभी आरोपी शिवनारायण जितेन्द्र परमाल एवं मुन्नीदेवी वहां आए थे दीवाल के उपर आरोपीगण उससे विवाद करने लगे थे फिर जितेन्द्र ने उसके सिर में लाठी मारी थी शिवनारायण ने उसके पीठ में लाठी मारी थी परमाल ने उसके बांय बखा में लाठी मारी थी मुन्नीदेवी ने उसकी एडी में सरिया मारा था तथा जितेन्द्र ने उसके दाहिने हाथ के पंजे में लाठी मारी थी जिससे उसके पंजे की उंगलियों में अस्थिभंग हो गया था। मौके पर आकाश और ऐंदल ने उसे बचाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षीने व्यक्त किया है कि घटना उसके पुराने चबूतरे पर हुई थी तथा उसके साथ गोडा में कोई घटना नहीं हुई थी। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्र0पी02 के नक्शेमौके में घटनास्थल गोडा बताया गया है तथा फरियादी माखनसिंह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में घटनास्थल पुराना चबूतरा बताया है प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में विरोधाभास है

जिससे अभियोजन घटनासंदेहास्पद हो जाती है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है यद्यपि फरियादी माखनसिंह अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र05 में यह बताया है कि उसके साथ घटनाचबूतरे पर कारित हुई थी गोडा में। कोई घटना नहीं हुई थी परंतु प्रतिपरीक्षण के पद क्र08 में उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि चबूतरा और गोडा दोनों लगे हुए हैं। फरियादी के उक्त कथन से यह दर्शित है कि गोडा एवं चबूतरा दोनों पास-पास हैं ऐसी स्थिति में मात्र उक्त विसंगति से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

23. फरियादी माखनसिंह अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसे घटना में सात चोटें आई थी तथा उसने अपने मुख्यपरीक्षण में जो पांच चोटें लिखाई थी वह गलत है उसके सात चोटें आई थी। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त बिंदु पर फरियादी माखनसिंह अ0सा01 के कथन अपनेपरीक्षण के दौरान किंचित विरोधाभासी रहे हैं एवं मुख्य परीक्षण के दौरान फरियादी माखनसिंह ने उसके मारपीट में सिर, पीट, बांय बखा, दाहिने पैर की एडी एवं दाहिने हाथ के पंजे में चोट आना बताया था परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटनादिनांक 06.10.14 की है एवं फरियादी माखनसिंह अ0सा01 के कथन न्यायालय में दिनांक 23.09.15 को हुए हैं ऐसी स्थिति में समय का अंतराल होने के कारण फरियादी माखनसिंह की स्मृति क्षीण होना स्वाभाविक है। फरियादी माखनसिंह की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी03 में भी फरियादी के सात चोटें होनावर्णित हैं ऐसी स्थिति में फरियादी माखनसिंह के मात्र उक्त कथन से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

24. फरियादी माखनसिंह अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि गोडा आरोपीगण का है एवं विवेचक श्रीनिवास अ0सा05 ने भी यह स्वीकार किया है कि फरियादी घटनास्थल वाली जगह को अपना बताते हैं तथा घटनास्थल वाली जगह आरोपीगण की है यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि गोडा वाली जगह आरोपीगण की है तो भी प्रस्तुत प्रकरण गोडा की जगह के स्वामित्व से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र उक्त तथ्य से भी अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

25. फरियादी माखनसिंह अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि पुलिस ने रिपोर्ट वाले दिन ही उसका बयान लिया था इसके बाद कोई बयान नहीं लिया था अगर रिपोर्ट वाले दिन के बाद उसका कोई बयान केस डायरी में लगा हो तो वह सही नहीं है। इस प्रकार फरियादी माखनसिंह अ0सा01 का कहना है कि पुलिस ने घटना वाले दिन अर्थात् 06.10.14 को ही उसका बयान लिया था जबकि अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि फरियादी माखनसिंह का पुलिस द्वारा धारा 161 दप्रसं के अंतर्गत कथन दिनांक 07.10.14 को लिया गया है यद्यपि उक्त बिंदु पर फरियादी माखनसिंह अ0सा01 के कथन उसके पुलिस कथन से पुष्ट नहीं रहे हैं परंतु समय का अंतराल हो जाने के कारण फरियादी की स्मृति क्षीण हो जाना संभावित है एवं उक्त विसंगति इतनी तात्त्विक भी नहीं है जिसके कारण संपूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद मान लिया जाए।

26. जहां तक साक्षी ऐंदल अ0सा02 एवं आकाश अ0सा04 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी ऐंदल अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा माखन सिंह की लाठियों से मारपीट करना बताया है तथा यह भी बताया है कि वह उस समय घर पर था वह झगड़े की आवाज सुनकर बाहर आया था तथा

उसने देखा था कि आरोपीगण माखनसिंह को मार रहे थे फिर उसने और आकाश ने आकर बीच बचाव किया था। यद्यपि प्रतिपरीक्षण के पद क्र०4 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि जब वह बाहर आया था तो माखनसिंह जमीन पर डले थे तथा आरोपीगण निकल रहे थे परंतु प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 8 एवं 9 में उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उसने आरोपीगण को मारपीट करते हुए देखा था एवं उसने बचाने का प्रयास किया था।

27. साक्षी ऐंदल अ०सा०2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि हल्ला सुनकर माखनसिंह की पत्नि सीमा तथा उसकी मां घर से बाहर नहीं आई थी उक्त बिंदु पर बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि यह अत्यंत अस्वाभाविक है कि पति की मारपीट हो रही हो एवं पत्नि पति को बचाने के लिए घर के बाहर न आए साक्षी ऐंदल द्वारा यह बताया गया है कि माखनसिंह की मारपीट होते वक्त आवाज सुनकर भी माखनसिंह की पत्नि सीमा बाहर नहीं आई थी यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश की महिलाएं झगड़े से दूर रहती हैं ऐसी स्थिति में यह अत्यंत स्वाभाविक है कि माखनसिंह की पत्नि सीमा झगड़े की आवाज सुनकर भी बाहर न निकली हो एवं उक्त तथ्य से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

28. साक्षी आकाश अ०सा०4 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में सभी आरोपीगण द्वारा उसके पिता माखनसिंह की लाठियों से मारपीट करना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि जिस समय झगडा हुआ था वह घर पर नहीं था तथा जब वह घर पर पहुंचा था तो उसके पिता बेहोश डले थे एवं उसके पिता के पैर से खून निकल रहा था। इस प्रकार साक्षी आकाश अ०सा०4 के उक्त कथन से यह दर्शित है कि यद्यपि उक्त साक्षी ने आरोपीगण को माखनसिंह की मारपीट करते हुए नहीं देखा था परंतु उक्त साक्षी के कथनों से यह तो प्रकट होता है कि उक्त साक्षी घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंचा था और उसने फरियादी माखनसिंह को घायल अवस्था में देखा था।

29. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि फरियादी माखनसिंह को चबूतरे से गिरने से चोटें आई थी उक्त बिंदु पर बचाव पक्ष की ओर से केशव सिंह वा०सा०1 को भी परीक्षित कराया गया है। केशवसिंह वा०सा०1 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि माखनसिंह चबूतरे से गिर गया था तथा उसके गिरने से चोटें आई थी उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि माखनसिंह के 2-3 चोटें थी एक चोट माखनसिंह के सिर में थी अन्य चोटें उसने नहीं देखी थी। केशवसिंह वा०सा०1 ने माखनसिंह के 2-3 चोटें होना बताया है परंतु चिकित्सकीय रिपोर्ट में माखनसिंह के सात चोटें वर्णित हैं। केशवसिंह वा०सा०1 ने मात्र माखनसिंह के 2-3 चोटें आना बताया है उसके द्वारा माखनसिंह की सात चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में केशवसिंह वा०सा०1 के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा फरियादी माखनसिंह को यह सुझाव दिया गया है कि उसके चबूतरे से गिरने से चोटें आई थी उक्त सुझाव को फरियादी माखन सिंह द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त लिए गए बचाव के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि फरियादी माखनसिंह को गिरने से चोटें आई थी एवं उक्त तर्क से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।



30. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०३ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि दाहिनी हथेली की चोट झगड़े में आई चोट आना प्रतीत नहीं होती है क्योंकि बचाव में हथेली वाला भाग आगे किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०३ के अनुसार फरियादी माखनसिंह की दाहिनी हथेली में पीछे की तरफ नीलगू निशान पाया गया था एवं उक्त चोट में अस्थिभंग भी पाया गया था। डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०३ द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उक्त चोट झगड़े में आना प्रतीत नहीं होती है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सक द्वारा मात्र उक्त संबंध में अपनी राय दी गई है डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०३ झगड़े के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। फरियादी माखनसिंह अ०सा०१ का ऐसा कहना नहीं है कि उसने मारपीट के दौरान बचाव में हाथ आगे किया था जिससे उसके हथेली में चोट आई थी ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि फरियादी माखनसिंह के दाहिनी हथेली में पीछे की तरफ मारपीट के दौरान चोट नहीं आ सकती है। उक्त बिंदु पर डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०३ की राय स्वीकारयोग्य नहीं है एवं मात्र चिकित्सक की उक्त राय से फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

31. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

32. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण में फरियादी माखनसिंह अ०सा०१ के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं एवं फरियादी माखनसिंह अ०सा०१ ने प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को पूर्णतः प्रमाणित किया है यद्यपि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक को परीक्षित न कराना अभियोजन की प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं उक्त त्रुटि से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

33. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी माखनसिंह अ०सा०१ ने आरोपी जितेन्द्र, परमाल सिंह एवं शिवनारायण द्वारा उसकी लाठियों से मारपीट करना बताया है तथा यह भी बताया है कि आरोपी जितेन्द्र द्वारा की गई मारपीट से उसके दाहिने हाथ के पंजे में अस्थिभंग कारित हुआ था। फरियादी माखनसिंह अ०सा०१ के कथन का समर्थन ऐदल अ०सा०२ एवं आकाश अ०सा०४ द्वारा भी किया गया है उक्त सभी साक्षीगणका बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्राप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षियों के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं आरोपीगण की ओरसे उक्त तथ्यों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी माखनसिंह अ०सा०१ द्वारा घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने पर दी गई है। फरियादी माखनसिंह अ०सा०१

काकथन तात्विक बिंदुओं पर प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है एवं जहां फरियादी का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहां फरियादी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

34. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपी जितेन्द्र सिंह, शिवनारायण एवं परमाल सिंह द्वारा फरियादी माखनसिंह की लाठी से मारपीट की गई थी एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी जितेन्द्र द्वारा की गई मारपीट से फरियादी माखनसिंह को अस्थिभंग कारित हुआ था।

35. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी परमाल सिंह शिवनारायण एवं जितेन्द्र सिंह के मध्य फरियादी माखनसिंह को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना के समय आरोपी परमालसिंह, शिवनारायण एवं जितेन्द्र सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे एवं उक्त सभी आरोपीगण द्वारा फरियादी माखनसिंह की लाठियों से मारपीट कर उसे उपहति कारित की गई थी प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी जितेन्द्र ने फरियादी माखनसिंह के दाहिने हाथ के पंजे में लाठी मारी थी जिससे फरियादी माखनसिंह को अस्थिभंग कारित हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मध्य फरियादी की मारपीट का सामान्य आशय निर्मित था अथवा नहीं इसका निर्धारण आरोपीगण के कृत्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों से ही हो सकता है। उक्त संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य आना संभव नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी माखनसिंह के कथनों से यह दर्शित है कि सभी आरोपीगण द्वारा उसकी लाठियों से मारपीट की गई थी एवं जहां सभी आरोपीगण फरियादी की मारपीट कर रहे हों एवं उनमें से किसी एक आरोपी द्वारा की गई मारपीट से फरियादी को अस्थिभंग कारित होता है तो सभी आरोपीगण उक्त कृत्य के लिए दायित्वाधीन होंगे। फलतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि सभी आरोपीगण के मध्य फरियादी माखनसिंह को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था जिसके अग्रसरण में आरोपी जितेन्द्र ने फरियादी माखनसिंह की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की थी।

36. प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी शिवनारायण, जितेन्द्र एवं परमालसिंह पर फरियादी माखनसिंह की मारपीट के लिए भादसं की धारा 325 का आरोप विरचित किया गया है एवं उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि फरियादी माखनसिंह को अस्थिभंग आरोपी जितेन्द्र द्वारा पहुंचाई गई चोट से कारित हुआ था ऐसी स्थिति में आरोपी जितेन्द्र का कृत्य भादसं की धारा 325 एवं आरोपी शिवनारायण तथा परमालसिंह का कृत्य भादसं की धारा 325/34 की परिधि में आता है यद्यपि आरोपी शिवनारायण एवं परमाल सिंह पर भादसं की धारा 325/34 का आरोप विरचित नहीं किया गया है परंतु उक्त आरोपीगण पर भादसं की धारा 325 का आरोप विरचित किया गया है ऐसी स्थिति में आरोपी शिवनारायण एवं परमालसिंह को भा.द.सं की धारा 325/34 के अंतर्गत भी विधिअनुसार दंडित किया जा सकता है।

37. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण ने फरियादी माखनसिंह को स्वेच्छया उपहति कारित की थी। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य दीवाल को लेकर विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद में आरोपीगण द्वारा फरियादी माखनसिंह की लाठी से

मारपीट कर उसे गंभीर उपहति कारित की गई थी। आरोपीगण वयस्क व्यक्ति है एवं घटना दिनांक को यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिन आयुधों से फरियादी माखनसिंह की मारपीट की जा रही थी उनसे फरियादी को उपहति कारित होना संभावित थी। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्रायवेत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये फरियादी माखनसिंह को उपहति कारित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी माखनसिंह को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

38. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 06/10/14 को शाम 06:00 बजे फरियादी माखनसिंह के मकान के बगल में ग्राम जिमलेदार का पुरा में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी माखनसिंह की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी जितेन्द्र को भदसं की धारा 325 एवं आरोपी शिवनारायण एवं परमालसिंह को भा0द0स0 की धारा 325/34 के अंतर्गत दोषी पाती है।

39. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 294 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपी जितेन्द्र को भा0द0स0 की धारा 325 एवं आरोपी शिवनारायण तथा परमाल सिंह को भादसं की धारा 325/34 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोष सिद्ध करती है।

40. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

**पुनश्च: -**

41. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

42. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। फलतः यह न्यायालय आरोपी जितेन्द्र को भा0द0स0 की धारा 325 एवं आरोपी शिवनारायण तथा परमाल को भा0द0स0 की धारा 325/34 के अंतर्गत

निम्नानुसार दण्ड से दण्डित करती है :-

स.क.	आरोपी का नाम	धारा भा0द0स0	कारावास (सश्रम)	अर्थदण्ड राशि रूपये	व्यक्तिकम सश्रम
1	जितेन्द्र	325	एक वर्ष	2000 (दो हजार)	एक माह
2	शिवनारायण	325 / 34	एक वर्ष	2000 (दो हजार)	एक माह
3	परमाल	325 / 34	एक वर्ष	2000 (दो हजार)	एक माह

43. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
44. प्रकरण में जप्तशुदा लाठी एवंसरिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड तोड कर नष्ट किए जावे अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशो का पालन किया जावे।
45. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध मे धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे है। तदानुसार सजा वारंट बनाये जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 19/01/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)



सामान्य जानकारी हेतु प्रति  
कीय / विधिक उपयोग हेतु अ

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
कीय / विधिक उपयोग हेतु अम